राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर

दिनांक 16 मार्च 1991 को कृषि अनुसंधान निदेशालय, दुर्गापुरा जयपुर में आयोजित प्रबन्ध मण्डल की बैठक का कार्यवृत :

निम्नांकित सदस्य उपस्थित थे :

1. श्री राकेश हूजा (अध्यक्ष)
2. श्री एम. एल. मेहता
3. श्री सी. एस. राजन
4. डा. सुधीर वर्मा
5. श्री पी. एस. भार्गव (शिक्षा सचिव के मनोनीत प्रतिनिधि के रूप में सदस्य)
6. डा. एन. एस. रन्धावा
7. डा. आर. सी. मेहरोत्रा
8. डा. पी. आर. जटकर
9. डा. के. के. जैन
10. डा. के. बी. शर्मा
11. डा. बी. एल. बसेर
12. श्री. टी. पन्त
13. डा. वी. बी. सिंह
14. डा. जी. एस. शेखावत
15. श्री बख्तावर सिंह
16. श्री सुनील धारीवाल (सदस्य सचिव)

श्री रघुवीर सिंह कौशल ने बैठक में भाग नहीं लिया ।

कुलपति महोदय ने नये मनोनीत सदस्यों का बैठक में पहली बार भाग लेने पर स्वागत किया और आशा व्यक्त की कि विश्वविद्यालय के उत्थान में उनका सक्रिय योगदान मिलता रहेगा ।

राकृवि/प्रबो-20/91-1/275 गत बैठक दिनांक 15 दिसम्बर 1990 की बैठक के कार्यवृत की पुष्टि पर विचार किया गया ।
निर्णय लिया गया कि बैठक के कार्यवृत की पुष्टि निम्न टिप्पणी के साथ की जाय :

अ) मद संख्या राकृवि/प्रबो-19/90-5/261 के अन्तर्गत अधिष्ठाता / निदेशकों के चयन हेतु शैक्षणिक परिषद द्वारा प्रस्तावित अर्हताओं पर पुनर्विचार हेतु निम्न सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया था :

कुलपति
डा. के. बी. शर्मा
श्री. टी. पन्त
डा. बी. एल. बसेर
डा. वी. बी. सिंह
डा. के. के. जैन
डा. पी. आर. जटकर
श्री सुनील धारीवाल (कुलसचिव)

उक्त समिति द्वारा प्रस्तावित अर्हताओं में निम्न संशोधन सुझाये गये :

अ) आवश्यक अर्हताओं की शर्त संख्या तीन जिसमें पाँच वर्ष का कार्यानुभव माँगा गया है को संशोधित कर दो वर्ष का माना जाय ।

ब) अधिष्ठाता दुग्ध विज्ञान महाविद्यालय हेतु आवश्यक अर्हताओं में डेरी टेक्नोलोजी शब्द सम्मिलित कर निम्न रूप से पढ़ा जाय :

1. Good Master's degree with good academic record and minimum of 15 years experience in teaching/research/extension in Institution of University Standard in the field of Dairy Science/ Dairy Technology. Specialised knowledge in one or more specified field with experience in guiding research.

2. Professional scientific work of outstanding merit with doctorate degree.

3. At least 2 years experience as a Professor or an equivalent post.

मण्डल की यह मान्यता थी कि अन्य संशोधित अर्हताएँ एवं मानदण्ड पूर्व में संशोधित रूप में मण्डल के निर्देशानुसार अनुमोदित माने गये हैं उक्त संशोधनों के साथ अनुमोदित माने जाये ।

राकृवि/प्रबो-20/91-1/276

मण्डल की गत बैठकें दिनांक 28.11.90 व 15.12.90 में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति पर विचार किया गया।

निर्णय लिया गया कि बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति को आलोकित किया जाय ।

सदस्यों का यह भी मत था कि बैठक में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति अपूर्ण है । अत: यह मत रहा कि बैठक के निर्णयों की क्रियान्विति जो पूर्व बैठक में बाकी बची रह जाती है और जिनकी क्रियान्विति बाकी है उनका ब्योरा भी प्रस्तुत किया जाना चाहिये। इस पर सदस्यों का यह मत रहा कि मण्डल की अगली बैठक में विश्वविद्यालय की स्थापना से अब तक बाकी बचे निर्णयों पर जिन पर कि क्रियान्विति नहीं हुई है का एक स्पष्ट ब्यौरा प्रस्तुत कर उनकी क्रियान्विति करवाई जावे तथा मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की जाय। बैठक की कार्य सूचि

आम तौर पर बैठक के 15 दिन पूर्व व पूरक कार्य सूचि सात दिन पूर्व माननीय सदस्यों को प्रेषित की जाय ताकि सदस्यगण उसका समालोचनात्मक अध्ययन कर सके। केवल कोई विशेष कारण से ही अध्यक्ष उसके पश्चात् कार्य सूचि में कोई विषय शामिल होने देवें।

राकृवि/प्रबो-20/91-1/277 मण्डल की बैठक के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा प्रसारित विभिन्न आदेशों का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ।

निर्णय लिया गया कि आदेशों को आलोकित किया जाय तथा विश्वविद्यालय आदेश संख्या एफ 97(रिस)/राकृवि/स्था/-1/91/4769-80 दिनांक 5/6 फरवरी 1991 का पुनर्वालोकन कर संशोधित किया जाय।

राकृवि/प्रबो -20/91-1/278 वर्ष 1990-91 का पुनरिक्षितलेखा (आय व्ययक) एवं वर्ष 1991-92 का अनुमानित आय व्यय वित्त समिति की सिफारिश के साथ मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

आय व्ययक की टिप्पणी पर विचार करते समय यह राय प्रकट की गई कि इस टिप्पणी से आय व्ययक का पूरा विश्लेषण सम्भव नहीं है। बजट के आय व्यय को विभिन्न पेरामीटर के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया जाये। कुछ पेरामीटर निम्नांकित हैं :

1) स्थिर खर्च तथा अस्थिर खर्च ।
2) प्रति छात्र पर होने वाला खर्च
3) विभिन्न संकाय पर होने वाला खर्च
4) अनुसंधान अध्ययन एवं विस्तार पर होने वाला खर्च ।

विश्वविद्यालय के आवश्यक खर्च हेतु प्रस्तुत 1991-92 बजट के आधार पर एवं वित्त समिति की दिनांक 15 मार्च 1991 की सिफरिश के आधार पर दो माह तक खर्च करने हेतु अधिकार दिये गये। आपात स्थिति में कुलपति को अतिरिक्त खर्च करने हेतु भी अधिकृत किया गया। दो माह में विश्वविद्यालय जीरो बेस बजट के आधार पर बजट अनुमान पर पुनः विचार करके मण्डल के समक्ष रखे।

राकृवि/प्रबो-20/91-1/279 वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1987-88 पर विचार किया गया।

विस्तृत विचार विमर्श पश्चात् यह निर्णय लिया गया कि इस प्रतिवेदन को और संक्षिप्त करके विधान सभा के समक्ष रखने हेतु कुलसचिव को स्वीकृति प्रदान की जावे। भविष्य

में तैयार होने वाले प्रतिवेदन सारगर्भित एवं त्रुटिहीन हों। प्रत्येक वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन सितम्बर माह तक पूरा हो जाना चाहिये। वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने में कुलसचिव की सहायता करने के लिऐ एक समिति का गठन कुलपति द्वारा किया जाय। कुलसचिव ने यह भी बताया कि 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन का प्रारूप भी तैयार है। उस पर भी कुलसचिव को उसे संक्षिप्त करके समिति से उसकी जॉच करवाकर ही उसे मण्डल के समक्ष रखने की सिफारिश करी गई।

राकृवि/प्रबो-20/ 91-1/280

डा. के. पी. पन्त, आचार्य पशु प्रजनन विभाग एवं डा. एस. बी. एस. यादव, सह आचार्य, पशु प्रजनन विभाग, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर को इन्दिरा गॉधी नहर परियोजना के द्वितीय खण्ड में जल एवं शक्ति परामर्शदात्री सेवा हेतु एक अध्याय पशु जाति एवं पशु प्रजनन पर लेखन की अनुमति के प्रस्ताव पर विचार किया गया।

निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव को परिनियम (स्टेट्यूट) 50(1)(9) के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की जाय।

राकृवि/प्रबो-20/ 91-1/281

स्थापना समिति के मनोनीत सदस्यों में से डा. हरेश सी. सांवरिया की कार्यावधि समाप्त होने पर उनके स्थान पर नये सदस्य के मनोनयन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि डा. आर. सी. मेहरोत्रा का मनोनयन उक्त समिति मे डा. हरेश सी सांवरिया के स्थान पर किया जावे।

राकृवि/प्रबो-20./ 91-1/282

निर्देशकों एवं अधिष्ठातओं के कामचलाऊ एवं अस्थाई नियुक्ति हेतु गठित विशेष समिति में डा. हरेश सी सांवरिया के स्थान पर मनोनयन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ ।

निर्णय लिया गया कि ऐसी समिति की आवश्यकता नहीं है एवं ऐसी नियुक्ति कुलपति अपने विवेक से अस्थाई तौर पर करें ।

राकृवि/प्रबो-20/ 91-1/283

कुलपति के निजी सचिव को परिवर्तित वेतनमान रू. 2200-4000 प्रदान करने हेतु अन्य विश्वविद्यालयों से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

यह निर्णय लिया गया कि वेतनमान में परिवर्तन नहीं किया जावे। इसके स्थान पर विशेष वेतन देने पर विचार करा जा सकता है क्यूँकि कुलपति के निजी सचिव को कुलपति की इच्छानुसार कभी भी परिवर्तित करा जा सकता है। यह सुझाव था कि इस प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय वित्त समिति द्वारा लिया जाना चाहिये एवं रू. 300/- प्रति माह तक

के विशेष वेतन पर वित्त समिति विचार कर सकती है।

राकृवि/प्रबो-20/ 91-1/284 श्री मुर्तजा अलि सालोड़ा, सहायक आचार्य, कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय उदयपुर को अंशकालिक एम.बी.ए. (व्यवसायिक प्रबन्धन एवं प्रशासन) मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय द्वारा चलाये गये पाठ्यक्रम के अन्तर्गत अध्ययन करने की अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव को अनुमोदित किया जावे।

राकृवि/प्रबो-20/ 91-1/285 डा. राधेश्याम आर्य , प्रशिक्षक , पशु पोषण विभाग, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय ,बीकानेर को पशु पोषण पर 30 दिवसीय प्रशिक्षण में भाग लेने की अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाय।

राकृवि/प्रबो-20/ 91-1/286 अध्यापकों /वैज्ञानिकों को अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों / सेमिनारों आदि में भाग लेने हेतु . राशि स्वीकृति के लिये प्रस्तावित नियमों का प्रारूप प्राप्त हुआ।

निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित नियमों को अनुमोदित किया जाय।

राकृवि/प्रबो-20/ 91-1/287 ग्राम सेवकों, कृषि पर्यवेक्षकों (कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं) को योग्यता के आधार पर कृषि स्नातक अथवा अधिस्नातक स्तर पर अध्ययन हेतु विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों में प्रवेश देने हेतु उप शासन सचिव, कृषि विभाग (ग्रुप-2) के पत्र दिनांक 17. 8.1990 पर विचार किया गया । विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि इस बिन्दु का सही आंकलन शैक्षणिक परिषद् द्वारा किया जावे कि किस प्रकार का पाठ्यक्रम (डिप्लोमा अथवा डिग्री) हेतु आवश्यक है। वर्तमान में प्रचलित पाठ्यक्रमों एवं उपादेयता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित करें। पूर्व में भी शैक्षणिक परिषद् द्वारा इस बिन्दु पर विचार किया जाकर निर्णय राज्य सरकार को प्रेषित किया है उस पर पुनर्विचार कर मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करें।

राकृवि/प्रबो-20/ 91-1/288 उप शासन सचिव, कृषि उत्पादन, ग्रुप-2, जयपुर के पत्र दिनांक 26. 9. 90 जिसमें विश्वविद्यालयों द्वारा लिये गये निर्णयों के विरूद्ध अपील हेतु ट्रिब्यूनल के गठन पर टिप्पणी चाही गई है पर विचार किया गया ।

मण्डल का मत रहा कि यह विषय कुलपति महोदय के निर्णय स्वरूप छोड़ दिया जाय।

राकृवि/प्रबो-20/ 91-1/289

केन्द्रीय कार्यकारिणी , शैक्षणेत्तर कर्मचारी संघ के पत्र दिनांक 7.6.90 द्वारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि अन्य समितियों के समान ही प्रबन्ध मण्डल में भी एक सदस्य का प्रतिनिधत्व स्वीकृत किया जावे।

विचार विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव को कोअस्वीकृत किया जाय।

राकृवि/प्रबो-20/ 91-1/290

विश्वविद्यालय कर्मचारियों स्वयं अथवा उनके आश्रितों को प्रवेश हेतु प्रतियोगी परीक्षा में भाग न लेते हुए विश्व विद्यालय द्वारा चलाये गये पाठ्यक्रमों में जहाँ 5 प्रतिशत आरक्षण बिना प्रतियोगी परीक्षा के प्रवेश हेतु है वह सुविधा समानान्तर रूप से प्रतियोगी परीक्षा के उपरान्त प्रवेश हेतु छूट का प्रस्ताव प्राप्त हुआ ।

निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव को निरस्त किया जाय।

राकृवि/प्रबो-20/ 91-1/291

मण्डल की पूर्व बैठक दिनांक 27.3.90 की मद संख्या 220(ए) के अन्तर्गत गठित समिति की बैठक दिनांक 23.8.90 में प्रस्तावित कृषि फार्मो की उत्पादकता एवं उपयोगिता (व्यावसायिक) का परीक्षण करने हेतु प्राप्त सिफारिशों पर विचार किया गया ।

विस्तृत विचार विमर्श पश्चात् समिति की समस्त सिफारिशों का अनुमोदन निम्न टिप्पणी के साथ किया गया :-

" कि एक अच्छा फार्म अधिक्षक का चयन किया जावे जिसे उत्पादकता (फसलों) का अच्छा ज्ञान हो व कार्यानुभव हो साथ ही यह भी मत रहा कि प्रत्याशी को विशेष वेतन/प्रोत्साहन व अन्य सुविधायें प्रदान की जावे तथा एक 36 बिन्दुओं का कार्यक्रम (36 प्वाईन्ट स्केल) तैयार किया जाकर लक्ष्य की प्राप्ति की जावे। मण्डल का मत था कि फार्म योजना में जो घाटा चल रहा है उसकी पूर्ति करी जाय फार्म किसी भी कीमत पर लाभ में रहने चाहिये। ।

राकृवि/प्रबो-20/ 91-1/292

श्री एस. आर. यादव, कृषि पर्यवेक्षक के चिकित्सा पुनर्भरण में अदेय राशि रू. 4789.45 जो उन्होंने अपनी चिकित्सा पर संतोखबा दूर्लभजी चिकित्सालय जयपुर में किये गये खर्च को विशेष रियायत पर स्वीकृत करने हेतु प्रभारी अधिकारी उद्यान विभाग, कृषि अनुसंधान केन्द्र , दुर्गापुरा जयपुर

की सिफारिश पर विचार किया गया ।

निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव को अस्वीकृत किया जाय।

राकृवि/प्रबो-20/91-1/293 श्री डी. बी. माथुर, लेखाकार, कृषि अनुसंधान केन्द्र फतेहपुर शेखावाटी को उनकी पत्नि श्रीमति सरोज माथुर के हृदय चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा हेतु रू. 30,000/- अग्रिम स्वीकृति हेतु आवेदन प्राप्त हुआ ।

निर्णय लिया गया कि श्री डी. बी. माथुर को रू. 30,000/- (तीस हजार रूपये) अग्रिम स्वीकृत किये जावे जिसका कि वह अपनी पत्नी की शल्य चिकित्सा के तुरन्त पश्चात् चिकित्सा पुनर्भरण बिल प्रस्तुत कर उक्त राशि का हिसाब विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेंगे तथा बिना खर्च की गई राशि को विश्वविद्यालय कोष में जमा करायेंगे। पुनर्भरण बिल को नियमानुसार ही जाँचा जावे एवं कोई विशेष राहत उसमें नहीं दी जावे।

राकृवि/प्रबो-20/91-1/294 कृषि उत्पादन सचिव एवं अध्यक्ष, आर. एस. एस. सी. राज्य सरकार जयपुर के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक पीए/डीएजी/91/2022 दिनांक 26.2.1991 जिसमें उन्होंने डा. के. एल. व्यास पौध जनन एवं सह निदेशक कृषि अनुसंधान केन्द्र फतेहपुर शेखावाटी की सेवायें तीन वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर चाही है पर विचार किया गया ।

निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाय सदस्यों का यह भी मत था कि इसी प्रकार विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों एवं राज्य सरकार के वैज्ञानिकों (अनुसंधान में लगे (सह आचार्य अथवा समकक्ष पद पर कार्यरत व्यक्तियों की सेवाओं का 2 या 3 (राज्य सरकार एंव विश्वविद्यालय के बीच प्रतिनियुक्ति पर आदान - प्रदान किया जावे ताकि उनके अनुभव का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके।

राकृवि/प्रबो-20/91-1/295. दिनांक 21.1.91 को अन फेयर मीन्स कमेटी की बैठक में प्रस्तावित सिफारिशों पर जिसमें छात्रों द्वारा अनैतिक तरीकों से अथवा अनुशासनहीनता के दोषी पाये जाने पर दण्डित करने का प्रस्ताव किया है पर विचार किया गया ।

निर्णय लिया गया कि समिति द्वारा प्रस्तावित सिफारिशों को अनुमोदन किया जाय ।

राकृवि/प्रबो-20/ 91-I/296. वित्त समिति की बैठक दिनांक 15 मार्च 1991 के कार्यवृत की पुष्टि पर विचार किया गया ।

निर्णय लिया गया कि बैठक के कार्यवृत की पुष्टि निम्न टिप्पणी के साथ की जाय :

अ) मद संख्या 5 जिसमें एक सेन्टर फार डेवेलप्मेन्ट स्टडीज एण्ड नेच्यूरल रिसोर्स मेनेजमेन्ट के नाम को परिवर्तित करके सेन्टर फोर प्लेनिंग एण्ड नेच्यूरल रिसोर्सेज़ मेनेजमेन्ट रखा जावे एवं उसे बीकानेर में स्थापित किये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया जावे तथा साथ ही यह भी अनुमोदन किया गया कि इस केन्द्र की स्थापना हेतु 50 हजार रूपये वर्ष 1990-91 की योजना बचत से प्रदान किये जावे तथा 1991-92 के आय व्ययक में रू. 5 लाख का प्रावधान किया जावे। एवं इस सेन्टर हेतु अलग बैंक खाता रखा जावे; कुलपति को चर्चानुसार सेन्टर के उद्धश्यों में मामूली परिवर्तन करने हेतु भी अधिकृत करा गया।

मण्डल ने वित्त समिति के अन्य सुझावों का भी अनुमोदन करा। मण्डल का यह विचार था कि राज्य सरकार के अतिरिक्त अन्य अभिकरणों का वित्तिय योगदान कम हुआ है, अत: विभिन्न योजनाऐं तैयार करके यह योगदान बढ़ाया जावे। यह भी सुझाव था कि वित्त नियंत्रक विश्वविद्यालय में प्राप्त धनराशि को बैंकों में लगाने हेतु ऐसी योजना बनावे जिससे विश्वविद्यालय के खर्चे भी चलें एवं विश्वविद्यालय अधिकतम ब्याज भी कमा सके।

राकृवि/प्रबो-20/ 91-I/297 सिटी स्तर पर दो उप समितियों के गठन जिनका कार्यक्षेत्र उस शहर में कार्यरत महाविद्यालयों/केन्द्रों पर उत्पन्न समस्याओं एवं ऐसे आवश्यक निराकरणीय मसले जिन पर तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो विश्वविद्यालय को प्रस्ताव भेजने और विश्वविद्यालय से निर्देश प्राप्त करने में समय लगता है अत: उन बिन्दुओं के निराकरण हेतु अधिकारियों /अधिष्ठाताओं /निदेशकों को कुछ अधिकारों के विकेन्द्रीकरण करने तुरन्त निर्णय लिये जाने के उद्देश्य से कुलपति महोदय द्वारा प्रस्तावित प्रक्रिया का प्रस्ताव सूचनार्थ प्राप्त हुआ ।

निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव को आलोकित किया जाय।

अन्य विशेष : सदस्यों के निवेदन पर यह तय करा गया कि केरीयर ऐडवान्समेन्ट योजना पर अगली मण्डल बैठक में विचार करा जावे।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

ह0

§ राकेश डूजा §
अध्यक्ष।

ह0

§सुनील धारीवाल§
सदस्य सचिव